भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2594

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स और एसआईएसएफएस

2594. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के झालावाड़-बारां जैसे जिलों सहित देश के टियर-दो और टियर-तीन शहरों में स्टार्टअपों तक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) सहित स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में वित्त, परामर्श और अवसंरचना तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट रणनीतियां अपनाई गई हैं और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विविधतापूर्ण रोजगार और सतत् आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी से इतर क्षेत्रों में स्टार्टअपों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) छोटे शहरों और कस्बों में स्टार्टअपों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपायों को किस प्रकार अनुकूलित किया जा रहा है और उनकी दीर्घकालिक अर्थक्षमता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी।

सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन भी कर रही है।

एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस को 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स दिशा-निर्देशों के आधार पर स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। इस स्कीम के तहत निधियां, महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने के आधार पर किश्तों में जारी की जाती है। महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने के अधार पर किश्तें प्राप्त करने के लिए, इन्क्यूबेटर्स निधियों के उपयोग और लेखा-परीक्षित व्यय की स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ईएसी, इन्क्यूबेटर्स के कार्य-निष्पादन और स्टार्टअप्स के वित्त पोषण को समय-समय पर मॉनीटर करती है। स्कीम के प्रचालन दिशा-निर्देश https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/07/eaf3e3bdae9f4d657117f18f6c91780a.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

विशेष रूप से राजस्थान राज्य में, स्कीम के तहत सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने 30 जून, 2026 तक 27.56 करोड़ रुपए के अनुमोदित वित्तपोषण के साथ 169 स्टार्टअप का चयन किया है। इसके अलावा, योजना के तहत इनक्यूबेटरों ने बारां और झालावाड़ जिलों से एक-एक स्टार्टअप का चयन किया है, जिसमें से प्रत्येक को 15 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

सीजीएसएस, पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थान (एमआई)] के जरिए स्टार्टअप्स को ऋण फंडिंग के जरिए क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। सीजीएसएस, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा प्रचालित किया जाता है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। एमआई, विवेकपूर्ण रूप से बैंकिंग निर्णय के आधार पर ऋण संबंधी आवेदनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करते हैं और ऋणप्राप्तकर्ताओं के खातों का संचालन बैंकिंग समझ के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। एमआई, भारतीय रिजर्व बैंक [बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वित्तीय संस्थानों के मामले में] और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) [वैकल्पिक निवेश निधि के मामले में] द्वारा यथा निर्धारित वित्तीय संस्थान संबंधी मानदंडों, मॉनीटरिंग और प्रक्रियाओं द्वारा प्रशासित होते हैं। सीजीएसएस के प्रचालन दिशा-निर्देश https://www.ncgtc.in/en/product-details/CGSS/Credit-Guarantee-Scheme-for-Start-ups-(CGSS) लिंक पर उपलब्ध हैं।

विशेष रूप से, राजस्थान राज्य में, 30 जून 2026 तक जयपुर और उदयपुर के स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 28.10 करोड़ रुपये के 6 ऋणों की गारंटी दी गई है।

एसआईएसएफ के तहत चयनित इन्क्यूबेटर्स और सीजीएसएस के अंतर्गत सदस्य संस्थानों के नेटवर्क पूरे देश में फैले हुए हैं, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी इस स्कीम के प्रभावी पहुंच को सक्षम बनाता है।

(ख): सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देशभर में, वित्त, मार्गदर्शन और अवसंरचना तक पहुंच को सक्षम करने के लिए कई उपाय कर रही है। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में रखा गया है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास एवं वृद्धि और देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है।

इसके परिणामस्वरूप, 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार कुल 2,40,092 कंपनियों को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन मान्यताप्राप्त कंपनियों ने, 55 से अधिक विभिन्न उद्योगों में 24.62 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के बारे में संसूचित किया है, जिसमें प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स (स्व-संसूचित) द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगार की उद्योग-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, ये कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए कुछ विशिष्ट आउटरीच और जागरूकता संबंधी उपाय भी शामिल हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षमता निर्माण और शुरुआती सहायता प्रदान करना, इकोसिस्टम विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्रदान करना भी शामिल है। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2594 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सरकार द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देश भर में वित्त, मार्गदर्शन और अवसंरचना तक पहुंच को सक्षम करने के लिए किए गए उपाय-

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई योजना) और उचित दर वाली दुकान के स्वामियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं/इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है।
3. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारतीय युवाओं के बीच अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और सामुदायिक इनोवेटर फैलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) इन्क्यूबेशन सुविधाएं और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) एआईएम के तहत स्थापित किए गए हैं ताकि अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम के संबंध में देश में इन सेवाओं को न प्राप्त करने वाले/अल्प-सेवित क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत मेंटर इंडिया और महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जैसे कार्यक्रम स्टार्टअप और आकांक्षी उद्मियों को मेंटर से जोड़ सकते हैं।
4. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नवप्रयोग और शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
5. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसरों, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित

एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

6. रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग स्कीम (आईडीईएक्स) और आईडीईएक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (एडीआईटीआई) रक्षा और एयरोस्पेस में स्टार्टअप को शामिल करके नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, डीएसटी, युवाओं के बीच नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवप्रयोग के विकास और उपभोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) को लागू कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता),निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फैलोशिप), निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) शामिल हैं। डीएसटी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए गए हैं।
8. अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-संचालित, समाधान-केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाईइम्पैक्ट एरियाज (महा) कार्यक्रम शुरू किया है।
9. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बायोनेस्ट (बायोइनक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नॉलॉजीज) और ई-युवा (नवप्रयोग के अनुसंधान कार्यों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और प्री-इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।
10. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडियाएआई मिशन जैसी पहलें कर रहा है।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।
12. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम (आरकेवीवाई) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इन्क्यूबेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा देकर नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

13. सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न उपाय कर रही है। प्रमुख स्कीमों नामत: स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया निधियों का कोष 2.0 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) सहित समय-समय पर कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती है, जो गैर-मेट्रो और ग्रामीण स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहित स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनको सहायता प्रदान करती है जो हितधारकों के लिए नेटवर्क स्थापित करने और सहयोग बनाने हेतु एक जीवंत मंच के रूप में काम करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने की पहल भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और स्केलिंग अप में सहायता करती है। सरकार ने ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें व्यापार शुरू करने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है ताकि विनियामक वातावरण को सरल और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाया जा सके। मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार संपर्क में सहायता और इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

14. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए, सरकार ने भारत इनोवेट्स 2026 और वीवाटेक 2026 जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नवप्रयोग प्लेटफार्मों में स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुगम बनाया है। भारत-फ्रांस नवप्रयोग वर्ष के भाग के रूप में नीस, फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 ने भारतीय स्टार्टअप्स को नवप्रयोग को प्रदर्शित करने, 1,350 से अधिक बी2बी बैठकों में भाग लेने और वैश्विक भागीदारों के साथ 50 से अधिक सहयोग गठबंधन करने में सक्षम बनाया है, जिससे स्टार्टअप एक्सीलरेशन, अनुसंधान साझेदारी, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बाजार पहुंच के अवसर पैदा हुए हैं। इसी तरह, वीवाटेक 2026 में, जहां भारत ने 80 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप के अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ एआई कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया, भारतीय स्टार्टअप ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवप्रयोगों का प्रदर्शन किया और वैश्विक निवेशकों, प्रौद्योगिकी अग्रणियों और व्यवसायों के साथ जुड़े, सीमा पार सहयोग को मजबूत किया तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों का विस्तार किया।

अनुबंध-II

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2594 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगार की उद्योग-वार ब्यौरा (स्व-संसूचित):

क्रम संख्या	उद्योग	सृजित प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या
1.	विज्ञापन	16,913
2.	एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और रक्षा	21,402
3.	कृषि	119,311
4.	एआई	54,149
5.	हवाई अड्डा संचालन	1,403
6.	एनालिटिक्स	12,187
7.	एनिमेशन	2,674
8.	एआर वीआर (ऑगुमेंटेड + वर्चुअल रियल्टी)	7,360
9.	वास्तुकला आंतरिक डिजाइन	15,675
10.	कला और फोटोग्राफी	6,378
11.	ऑटोमोटिव	56,467
12.	जैव प्रौद्योगिकी	6,517
13.	रसायन	26,015
14.	कंप्यूटर विजन	3,434
15.	निर्माण	149,325
16.	डेटिंग मैट्रिमोनियल	1,046
17.	डिज़ाइन	12,820
18.	शिक्षा	123,930
19.	उपक्रम सॉफ्टवेयर	35,241
20.	इवेंट्स	8,889
21.	फैशन	37,454
22.	वित्त प्रौद्योगिकी	81,139
23.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	151,875
24.	हरित प्रौद्योगिकी	38,498
25.	स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान	212,510
26.	घरेलू सेवाएं	25,377
27.	मानव संसाधन	116,124
28.	भारतीय भाषा स्टार्टअप	4,714
29.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स	18,825

30.	आईटी सेवाएं	292,226
31.	लॉजिस्टिक्स	18,583
32.	विपणन	38,668
33.	मीडिया और मनोरंजन	29,606
34.	नैनो प्रौद्योगिकी	2,322
35.	गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	15,498
36.	अन्य स्पेशियलिटी खुदरा विक्रेता	23,699
37.	अन्य	28,382
38.	यात्री अनुभव	403
39.	पालतू पशु और अन्य पशु	4,620
40.	व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	133,486
41.	रियल एस्टेट	23,711
42.	नवीकरणीय ऊर्जा	67,131
43.	खुदरा	50,291
44.	रोबोटिक	8,633
45.	सुरक्षा	12,286
46.	सुरक्षा समाधान	48,635
47.	सामाजिक प्रभाव	15,386
48.	सोशल नेटवर्क	6,402
49.	खेल	10,088
50.	प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	76,067
51.	दूरसंचार और नेटवर्किंग	21,813
52.	वस्त्र एवं परिधान	59,332
53.	खिलौने और खेल	6,870
54.	परिवहन और भंडारण	39,856
55.	यात्रा और पर्यटन	38,126
56.	अपशिष्ट प्रबंधन	22,817
	कुल	**24,62,589**

अनुबंध-III

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2594 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभों को देशभर के स्टार्टअप्स तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. क्षमता निर्माण और सहायता

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग ('एसआरएफ') कार्यक्रम के तहत गैर-महानगरों सहित सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि क्षेत्रीय ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। महानगर और क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों के इन्क्यूबेटरों के लिए विशेष रूप से मॉनीटरिंग, क्षमता विकास और सहायता सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

2. आउटरीच और जागरूकता

देशभर में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गैर महानगरों के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन कार्यकलापों में गैर-महानगर के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन और व्यावसायिक संबंधों के अवसर प्रदान करना शामिल हैं। विभिन्न स्टार्टअप शोकेस भी आयोजित किए जाते हैं, जहां स्टार्टअप निवेशकों के समक्ष अपने व्यवसाय प्रस्ताव रखे जाते हैं और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

3. इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम

विभिन्न राष्ट्रीय इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे स्टार्टअप महाकुंभ, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से इकोसिस्टम को एक साथ लाकर नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है; क्षेत्र के उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में स्टार्टअप और उद्यमिता पर असेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर और एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और उद्यमिता की सराहना करने और पूरे भारत के हितधारकों के साथ नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) पहल का उद्देश्य जिला-स्तर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है।

4. अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और लिंकेज

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को अंतर्राष्ट्रीय सरकार से सरकार की भागीदारियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी, वैश्विक आयोजनों की मेजबानी और विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा रहा है जो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं।

5. ईकोसिस्टम में सहयोग को प्रोत्साहित करना

सरकार ने भारत में उद्यमिता इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संसाधन, सूचनाएं और विभिन्न लाभ प्राप्त किए जा सकें। यह पोर्टल, गैर-मेट्रो शहरों और क्षेत्रों से भी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए पहुंच में सुधार करते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों तक डिजिटल रूप से पहुंच को सक्षम बनाता है।
